संख्या- 13 /2018/2018/सात-न्याय-9(बजट)-2017-4(ब)/2013

प्रेषक-

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
लखनऊ ।

न्याय अनुभाग-9(बजट) **लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2018**

विषय- उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं0-2928/एसएलएसए,-84/2016, दिनांक 20-12-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए मानक मद 31-सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) में **रू0200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र)** की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- आय-व्ययक में उक्त स्वीकृत धनराशि के समक्ष व्यय की धनराशि की सूचना बी0एम0-13 के निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रत्येक माह अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

2- स्वीकृत धनराशि के व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन [redacted]मलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करली जाये ।

[redacted]- आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3-   इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक '' 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम- 04-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-00- 31- सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

4-   यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या– 13/2018/2018(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्निलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय/आडिट, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2 – महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

4- न्याय अनुभाग- 7 ।

5- वित्त (ई-12) अनुभाग / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 ।

6- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्डबुक न्याय-9(बजट)।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।